भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3337
उत्तर देने की तारीख 16 दिसंबर, 2024
सोमवार, 25 अग्रहायण 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत स्थापित कौशल केन्द्र

3337. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के कार्यान्वयन से अब तक स्थापित कौशल केन्द्रों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कौशल केन्द्रों में उपलब्ध प्रशिक्षकों तथा अवसंरचना जैसे कक्षा और प्रयोगशालाओं की कुल संख्या का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कौशल केंद्रों द्वारा आवंटित और प्राप्त कुल प्रशिक्षण लक्ष्य तथा कौशल केंद्रों को आवंटित और वितरित की गई धनराशि का वर्ष-वार, आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) जी हां। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, दिनांक 31.10.2024 तक, देश भर में 6,835 कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत संचालित कौशल केंद्रों की वित्तीय वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार संख्या मंत्रालय की वेबसाइट

https://msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/loksabha (अनुबंध) पर उपलब्ध है।

(ग) कौशल केन्द्रों की स्थापना शैक्षणिक संस्थानों के उपलब्ध बुनियादी ढांचे में की जाती है। कौशल केन्द्रों के प्रशिक्षकों और बुनियादी ढांचे (कक्षाएं और प्रयोगशालाएं) की संख्या मानकीकृत है और ये पीएमकेवीवाई 4.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं। कौशल केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए पूर्व-आवश्यकताओं जैसे कि बुनियादी ढांचे (प्रयोगशालाओं सहित) और प्रशिक्षकों के बारे में मौजूदा प्रावधान पीएमकेवीवाई 4.0 दिशा-निर्देशों के अध्याय VI में दिए गए हैं जो मंत्रालय की वेबसाइट https://msde.gov.in/sites/default/files/2023-11/PMKVY%204.0%20Guidelines.pdf पर उपलब्ध हैं।

(घ) चूंकि कौशल केन्द्र शैक्षणिक संस्थानों के उपलब्ध बुनियादी ढांचे में स्थापित किए जाते हैं, इसलिए पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई अलग से निधि आबंटित नहीं की गई है। इस योजना दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इन कौशल केन्द्रों को केवल कौशल प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

दिनांक 31.10.2024 तक पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत कौशल केन्द्रों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की वित्तीय वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार संख्या और संबंधित वितरित निधि मंत्रालय की वेबसाइट https://msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/loksabha (अनुबंध) पर उपलब्ध है।

*****